(भारत का राजपत्र , असाधारण के भाग III, खण्ड 4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 223 **नई दिल्ली** **27 नवबंर, 2009**

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38वां) की धारा 48, 49 और 50 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, न्यू मंगलौर पत्तन न्यास के प्रचलित दरमान की वैद्यता को संलग्न आदेशानुसार विस्तारित करता है ।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
प्रकरण सं. टीएएमपी /42/2005- एनएमपीटी

आदेश

(अक्तूबर 2009 के 23 वें दिन पारित)

न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) के वर्तमान प्रचलित दरमान को इस प्राधिकरण ने दिनांक 11 मई, 2006 को पिछली बार दिनांक 11 मई, 2006 के आदेश संख्या टीएएमपी/42/2005-एनएमपीटी द्वारा अनुमोदित किया था । आदेश के साथ दरमान को भी भारत के राजपत्र में 13 जून, 2006 को राजपत्र संख्या 99 द्वारा प्रकाशित किया गया था । अनुमोदित दरमान की वैद्यता को 31 मार्च, 2009 तक निर्धारित की गई थी ।

2. इस प्राधिकरण ने दिनांक 17 जून 2009 के अपने आदेश द्वारा एनएमपीटी के वर्तमान प्रचलित दरमान की वैद्यता को 30 सिंतबर, 2009 तक, इस शर्त पर विस्तारित किया था कि 01 अप्रैल, 2009 के बाद वाली अवधि में स्वीकार लागत और अनुमय प्रतिलाभ से अधिक प्रोद्भूत अधिशेष को निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णरूपेण समायोजित किया जाएगा । यह आदेश दिनांक 20 जून, 2009 को भारत के राजपत्र में राजपत्र संख्या 107 के द्वारा अधिसूचित किया गया था ।

3. अब एनएमपीटी ने रजिस्टर्ड कार्गो हैंडलिंग विंग (आर.सी.एच.डब्ल्यू) और व्यवसाय पूर्वानुमान से आय / व्यय को प्रतिबिम्बित करने में आ रही कुछ कठिनाईयाँ व्यक्त की हैं और उसने दरमान के समान्य संशोधन का प्रस्ताव को दाखिल करने हेतू 31 दिसंबर, 2009 तक का समय मांगा है । इसी बीच अपने प्रचलित दरमान की वैधता को 31 मार्च, 2010 तक या संशोधित दरमान की अधिसूचना तिथि तक इसमें से जो भी पहले हो तक विस्तारित करने का अनुरोध किया है ।

4. एनएमपीटी की प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए और यह समझते हुए कि प्रचलित दरमान की वैद्यता 30 सितंबर 2009 को समाप्त हो रही है, यह प्राधिकरण एनएमपीटी के प्रचलित दरमान की वैद्यता को, एनएमपीटी को इस निदेश के साथ, 31 मार्च, 2010 तक विस्तार प्रदान किया है कि वह अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए प्रस्ताव अधिकतम 31 दिसंबर, 2009 तक दाखिल कर दें ।

5. यदि 01 अप्रैल, 2009 के बाद वाली अवधि में स्वीकार्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक कोई अतिरिक्त अधिशेष उभरता है तो उसे निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णरूपेण समायोजित किया जायेगा ।

(रानी जाधव)
अध्यक्षा